न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 31/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2018/00277

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

श्रीमति मीरा देवी पत्नी जेठुसिंह जाति रावत निवासी मगर तलाब, तहसील देसूरी, जिला पाली

बनाम

1. उम्मेदराम पुत्र चेना, जाति लुहार निवासी मगरतलाब के का.मु.–
   1.1 कालुराम पुत्र उम्मेदराम उर्फ अमाराम
   1.2 नेनाराम पुत्र उम्मेदराम उर्फ अमाराम
   1.3 फुली बाई पुत्री उम्मेदराम उर्फ अमाराम
   तमाम जातिगण लुहार, निवासीगण मगरतलाब, तहसील देसूरी, जिला पाली
2. पदमसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावत, निवासी मगरतलाब, तहसील देसूरी, जिला पाली
3. ग्राम पंचायत मगर तलाब जरिये सरपंच, तहसील देसूरी, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनु0
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मो. शफी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25/2/21

वकील प्रार्थी की ओर से यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्ट संख्या 40 दिनांक 13.07.1968 एवं प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 15.09.1967 पारित कर उम्मेद पुत्र श्री चेना लुहार के पक्ष ने ग्राम पंचायत मगरतलाब द्वारा जारी प्रस्ताव व पट्टा निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं ग्राम पंचायत मगरतलाव से पट्टा सम्बधी रेकार्ड तलब किया गया मात्र बैठक कार्यवाही रजिस्टर प्राप्त हुआ बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व में लिखित बहस पेश की गई है जिसके अवलोकन से उसमे उल्लेखित है कि ग्राम पंचायत मगरतलाव से स्व. उम्मेदराम के पक्ष में पट्टा संख्या 40 दिनांक 13.07.1968 प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 15.09.1967 की पालना मे विधि विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है पट्टा एवं मिसल ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही है। ग्राम पंचायत ने बिना मिसल कायम किए जैर निगरानी पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया है राज. पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियम 255 से 269 तक विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई। इसलिए भी पट्टा निरस्त योग्य है। प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 15.09.1996 में कांट–छांट की हुई है स्व. उम्मेदराम के प्रस्ताव में नाम अंकित नही है अर्थात पट्टा बिना मिसल व बिना प्रस्ताव के नाम अंकित किये जारी किया गया है जिसे किसी समय चुनौती दी जा सकती है। इसकी कोई अवधी निर्धारित नही है स्व उम्मेदराम के नाम 70 X 35 फिट का पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त आराजी के पूर्व में 35 X 18 फिट भूमि मे प्रार्थिया का 30–40 वर्षो से कब्जा है इसी भुमि मे से सिढियां प्रार्थिया के मकान की प्रथम मजिंल में जाती है तथा प्रार्थिया के मकान के दक्षिण दिशा में उक्त पट्टे की भुमि आई हुई है जिसके पश्चिम की ओर पदमसिंह का मकान है उसी के पट्टे मे प्रार्थिया के ससुर का [illegible] रास्ता है। स्व उम्मेदराम के 2 पुत्र व 1 पुत्री है पुत्र मंदबुद्धि है [illegible] 18 X 35 फिट भूमि हडपने की नीयत से पदमसिंह ने सांठगांठ [illegible] 18 X 35 [illegible] रजिस्ट्री अपने नाम [illegible] दी जिसकी आड में प्रार्थिया की कब्जा सुदा 35 X 18 फिट की भुमि जिसका [illegible] दक्षिण मे है सिढियां बनी हुई है पदमसिंह ने ट्रैक्टर से [illegible]डफोड दिया इस बाबत एफआईआर दर्ज करवाई गई जो सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। स्व. उम्मेदराम के वारिसान द्वारा पदमसिंह के नाम बेचान रजिस्ट्री 26.09.1997 को करवा दी गई मूल पट्टे के प्रति पेश

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:14 IST
Reason: SelfAttested

नही कि गई एवं राज्य हित में पंजीयन किया जाता है लिखा गया । रजिस्ट्री के पृष्ट संख्या 02 में स्व उम्मेदराम की मृत्यु दिनांक 01.12.1965 को होना बताया तथा मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति भी पेश करना बताया है स्व उम्मेदराम के नाम दिनांक 13.07.1968 को पट्टा जारी किया गया है जबकि उसकी मृत्यु उक्त बेचान रजिस्ट्री मे किए गए उल्लेख अनुसार 1.12.65 को हो चुकी थी मृत्यु के दो वर्ष से भी अधिक समय पश्चात पट्टा बनाया गया है जो मृतक के नाम बनाया जाने से काबिल खारिज है पंचायती राज नियमों के अनुसार मृत व्यक्ति के नाम पट्टा जारी नही किया जा सकता है पट्टे की जिसी भूमि पर18X35 फिट पर प्रार्थिया का कब्जा होते हुए भी पदमसिंह के नाम रजिस्ट्री करवाई गयी है। उक्त सभी तथ्यों में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है जो प्रारम्भ से शुन्य है अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि स्व उम्मेदराम के हक में जैर निगरानी पट्टा जारी हुआ था यह सही है स्व. उम्मेदराम के वारिसान का कब्जा है उसकी18X35 फिट भूमि को प्रार्थिया कब्जा कर हडपना चाहती है उसमें सिढियां बनाकर कब्जा कर दिया है उससे हैरान परेशान स्व उम्मेदराम के वारिसान ने उक्त प्लॉट मे से पश्चिम दिशा की ओर का हिस्सा 18X35 फिट पदमसिंह को बेचाण कर दिया है उसकी रजिस्ट्री में स्व उम्मेदराम की मृत्यु तिथि गलत अंकित की है जो एक टाईप मिस्टेक(लिपिकीय त्रुटि)है इस बाबत जेठुसिंह पुत्र नारायणसिंह रावत निवासी मगरतलाव द्वारा आरोप पत्र संख्या 7 दिनांक 10.03.2018 को दर्ज कराया जिसके संम्बध मे पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया तथा अन्तिम परिणाम रिपोर्ट सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब देसूरी के न्यायालय में पेश की जो प्रकरण संख्या 09/16.01.2018 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 447, 120B भा.द.स. के पुलिस थाना खिवाडा में दर्ज हुई थी उसके पेज सख्या 2 मे पेरा संख्या 6 दर्ज है जिसके अनुसार पुलिस ने अनुसंधान में पाया कि "अप्रार्थी कालूराम व नैनाराम का किसी प्रकार का कुटरचित दस्तावेज तैयार करने अथवा अपने पिता की मृत्यु दिनांक, पट्टा जारी होने की दिनांक से पूर्व की लिखवाने का नही पाया जाता है तथा उक्त तारीखों का अंकन स्टाम्प लेखक की टाईप मिस्टेक से होना प्रतीत होता है तथा प्रार्थी को उक्त मानवीय भूल की गलती पकड में आने पर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से उक्त प्रकरण दर्ज करवाना पाया जाता है। अप्रार्थी कालुराम एंव नैनाराम के पिता उम्मेद कारीगर के नाम 1967 में जारी पट्टे की मूल प्रति साल 1996 के दो चार साल बाद वर्षा में उम्मेद का मकान टुट जाने के कारण पटटा मूल ही दब जाने के कारण नष्ट होना बताया है उसके पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु 1967 में पटटा जारी होने के एवं दो साल बाद होना बताया प्रार्थी अथवा उसके अधिवक्ता ने स्व. उम्मेदराम की मृत्यु बाबत किसी प्रकार का प्रमाण साक्ष्य सबुत अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश नही कि गई है। जिससे स्व. उम्मेदराम की मृत्यु की प्रमाणित तिथि का पता लग सकें स्व उम्मेदराम पट्टे बनने तक जीवित था रजिस्ट्री में जो वाकिया रजिस्ट्री में अकित है वह अनुमानित व मनगढत है। उसके पुत्रों के अनुसंधान में दिए ब्यान सही है इस लिए निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। तथा जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाने के आदेश प्रदान करावे।।

बहस सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव रजिस्टर का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार मिसल नम्बर 14/61–62 से सम्बधित प्लोट के बाबत प्रस्ताव में लिखा है कि 6 प्लोट का मौका पर निलाम किया गया लेकिन किसी ने बोली नही लगाई प्रार्थी कारीगर है और रहने के लिए कोई मकान नही है प्रार्थी कारीगर है इसलिए प्रार्थी को रियायतन नजराना 5 रूपये तय किये गये इस प्रकार का दिनांक 05.09.1969 के प्रस्ताव में इबारत दर्ज है इससे जाहिर है कि स्व उम्मेद को कारीगर होने [illegible] निगरानी प्लोट मिसल संख्या 14/61–62 कायम कर दिया था।

निगरानी मे विचारणीय [illegible] का देहात पट्टे की कार्यवाही करने से पूर्व हो गया था [illegible] में अप्रार्थीगण का कथन है कि रजिस्ट्री जिसमे प्रार्थी की मृत्यु 1965 में होना उल्लेखित है वह उसके वारिसान द्वारा गलत रूप से उल्लेखित करना पुलिस एफआईआर में भी माना है। पुलिस एफआर रिपोर्ट से स्पष्ट है कि स्व उम्मेद कि मृत्यु रजिस्ट्री में 1965 लिखा जाना लिपिकीय त्रुटि है। इस बाबत प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने स्व उम्मेद की मृत्यु बाबत किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:14 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

अन्य साक्ष्य सबूत अथवा मृत्यु प्रमाण की प्रति पेश नही की है जिससे साबित हो सके कि स्व. श्री उम्मेद राम की मृत्यु पहले हुई है तथा पटटा बाद में जारी किया गया है लिहाजा निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा जैर निगरानी प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 15.09.1967 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक 13.07.1968 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25-2-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:14 IST
Reason: SelfAttested